न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 41/2025 **दायर दिनांकः 07.05.2025**

उनवान

1. अब्दुल गनी आयु 70 वर्ष पुत्र शेरखां जाति मुसलमान
2. कनीर बाई आयु 90 वर्ष पत्नी शेरखां जाति मुसलमान निवासीगण जिरोद तहसील अटरू जिला बारां।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—
प्रार्थी :— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनाकः 16.06.2025**

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल जिरोद पटवार हल्का जिरोद तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की आराजी खाता संख्या 225 का ख.नं. 216 का रकबा 1.37 हे0, ख.नं. 238 का रकबा 1.19 हे0, ख.नं. 277 का रकबा 0.43 हे०, ख.नं. 534 का रकबा 0.56 हे0, ख.नं. 570 का रकबा 0.82 हे0, ख. नं. 571/767 का रकबा 0.05 हे0 कुल किता 6 का कुल रकबा 4.42 हेक्टर आराजी प्रार्थीगण के अन्य सहखातेदारान के साथ दर्ज खाता स्थित है। नवीन नकल जमाबन्दी साथ में संलग्न है। प्रार्थीगण के पिता/पति शेरखां की मृत्यु के बाद फोती इन्तकाल तस्दीक करते वक्त आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण ने प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित ग्राम जिरोद की आराजी खाता संख्या 225 में प्रार्थी क्रम 1 का नाम अब्दुल गनी के स्थान पर गनी मोहम्मद तथा प्रार्थिया क्रम 2 का नाम कनीर बाई के स्थान पर कनीज बाई गलत दर्ज कर दिया। प्रार्थीगण के दस्तावेज पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक, जन आधार कार्ड, ग्राम पंचायत जिरोद द्वारा जारी प्रमाण पत्र में प्रार्थी क्रम 1 का सही नाम अब्दुल गनी एवं प्रार्थिया क्रम 2 का सही नाम कनीर

बाई दर्ज है। इसलिए उक्त वर्णित आराजी में प्रार्थी क्रम 1 का सही नाम अब्दुल गनी एवं प्रार्थिया क्रम 2 का सही नाम कनीर बाई दर्ज किया जावे। दस्तावेजों की प्रति साथ में संलग्न है। बिना सहायता न्यायालय प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी ग्राम जिरोद की खाता संख्या 225 में प्रार्थी क्रम 1 का नाम गनी मोहम्मद के स्थान पर अब्दुल गनी तथा प्रार्थिया क्रम 2 का नाम कनीज बाई के स्थान पर कनीर बाई दर्ज करवाया जाना सम्भव नही है। अगर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थीगण का सही नाम दर्ज नहीं किया गया तो प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी तथा अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा तथा सरकारी सहायता से वंचित होना पड़ेगा। अस्तु प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी क्रम 1 का नाम गनी मोहम्मद के स्थान पर सही नाम अब्दुल गनी तथा प्रार्थिया क्रम 2 का नाम कनीज बाई के स्थान पर सही नाम कनीर बाई दर्ज किया जावे। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल०आर०एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित ग्राम जिरोद की आराजी खाता संख्या 225 में प्रार्थी क्रम 1 का नाम गनी मोहम्मद के स्थान पर सही नाम अब्दुल गनी तथा प्रार्थिया क्रम 2 का नाम कनीज बाई के स्थान पर सही नाम कनीर बाई दर्ज करने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2025/1983 दिनांक 28.05.2025 को शामिल फाईल किया गया।

साक्ष्यप्रार्थी के तहत शपथ पत्र Pw1 कनीर बाई पत्नी शेर खां जाति मुसलमान निवासी जिरोद, Pw2 नसीर मोहम्मद पुत्र शेर खां जाति मुसलमान निवासी जिरोद व Pw3 अब्दुल गनी पुत्र शेर खां जाति मुसलमान निवासी जिरोद के शपथ पत्र पेश किए गए तथा उनके सशपथ बयान लेखबद्व किए गए तथा अभिभाषक प्रार्थीगण की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल जिरोद सम्वत 2073–76 खाता संख्या 225, नकल नामान्तकरण प्रविष्टि संख्या 931 दिनांक 23.09.2024, आधार कार्ड अब्दुल गनी, मतदाता पहचान पत्र अब्दुल गनी, बैंक पास बुक बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, परिवार राशन कार्ड अब्दुल गनी, पेन कार्ड अब्दुल

गनी, मतदाता पहचान पत्र कनीर बाई, बैंक पास बुक बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कनीर बाई, परिवार राशन कार्ड शेर खां, शपथ पत्र गवाहान, ग्राम पंचायत जिरोद प्रमाण पत्र व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 ग्राम व माल जिरोद खाता संख्या 225 में सहखातेदार नसीर मोहम्मद पुत्र शेरखां ने भी गनी मोहम्मद का सही नाम अब्दुल गनी तथा कनीज बाई का सही नाम कनीर बाई होना स्वीकार किया है।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण, साक्ष्यप्रार्थी तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल जिरोद पटवार हल्का जिरोद तहसील अटरू की खाता संख्या 225 की ख.नं. 216 का रकबा 1.37 हे0, ख.नं. 238 का रकबा 1.19 हे0, ख.नं. 277 का रकबा 0.43 हे०, ख.नं. 534 का रकबा 0.56 हे0, ख.नं. 570 का रकबा 0.82 हे0 व ख.नं. 571/767 का रकबा 0.05 हे0 कुल किता 6 का कुल रकबा 4.42 है0 आराजी में सह खातेदार गनी मोहम्मद के स्थान पर अब्दुल गनी उर्फ गनी मोहम्मद व कनीज बाई के स्थान पर कनीर बाई उर्फ कनीज बाई किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपलब्ध रिकार्ड/दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल जिरोद पटवार हल्का जिरोद तहसील अटरू की खाता संख्या 225 की ख.नं. 216 का रकबा 1.37 हे0, ख.नं. 238 का रकबा 1.19 हे0, ख.नं. 277 का रकबा 0.43 हे०, ख.नं. 534 का रकबा 0.56 हे0, ख.नं. 570 का रकबा 0.82 हे0 व ख.नं. 571/767 का रकबा 0.05 हे0 कुल किता 6 का कुल रकबा 4.42 है0 आराजी में सह खातेदार गनी मोहम्मद के स्थान पर अब्दुल गनी उर्फ गनी मोहम्मद व कनीज बाई के स्थान पर कनीर बाई उर्फ कनीज बाई दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें। जमाबन्दी के शेष अंकन यथावत रहेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 16.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां